दिनांक 28.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 52/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना सरायलखन्सी

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के 45 हजार 200 रूपये नगद बरामद

दिनांक 28.11.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर के पास से अभियुक्त 1–रितिक कुमार उर्फ सोनू एवं बकवल तिराहे के पास से अभियुक्त 2–अंशू उर्फ दुर्गा प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 45 हजार 200 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.11.2025 को थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रितिक कुमार उर्फ सोनू निवासी ताजोपुर डाडेंपार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

2–अंशू उर्फ दुर्गा प्रताप निवासी कोटवा कोपड़ा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी

1–चोरी के 45 हजार 200 रूपये नगद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 06 ई–रिक्शा

● 01 अवैध तमंचा आदि बरामद

दिनांक 27.11.2025 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोमबाजार कट के पास से अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 ई–रिक्शा, 01 अवैध तमंचा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद ई–रिक्शा चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप निवासी ग्राम बुनियादपुर थाना बंसीहारी दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, वर्तमान पता सेक्टर–105 थाना सेक्टर–39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 ई–रिक्शा।

2–01 अवैध तमंचा आदि।

- **जनपद सम्भल/थाना बनियाठेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 23 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना बनियाठेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/302/506(2) भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिजवान को आजीवन कारावास व 23 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लल्लू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शहजाद 2–भूरे उर्फ आस मोहम्मद को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रामपुर बरकोनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)झ/366/363 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना ललपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना ललपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अटल सिंह को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना सिकन्द्राराऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अंकित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना सम्मनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना सम्मनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/323/504 व 376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद औरैया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विवेक उर्फ लल्लू को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————